केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इतिहास और
सीबीआई निदेशकों की सूची (1963-2018)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सामान्य ज्ञान:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) या 'सीबीआई' भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है। सीबीआई कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफ़बीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम, 1946 से परिभाषित हैं। भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वर्तमान अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संस्थापक एवं प्रथम निदेशक डी. पी. कोहली थे, जिन्होंने 01 अप्रैल, 1963 से 31 मई, 1968 तक कार्यभार संभाला था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इतिहास:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) के तहत की गई थी, अपने गठन के उद्देश्य की ओर अग्रसर है। उस समय एसपीई का मुख्य कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध तथा आपूर्ति विभाग में लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच-पड़ताल करना था। एसपीई युद्ध विभाग के देख-रेख में था। यहां तक कि युद्ध के समाप्त होने तक की केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय सरकार की जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की गई थी। इसलिए, 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम एसपीई के अधीक्षण को गृह विभाग को हस्तांतरित करता है और इसके कार्यों के परिधि को बढ़ाकर भारत सरकार के सभी विभागों को करता है। एसपीई का कार्यक्षेत्र सभी संघ शासित राज्यों को शामिल करता है और राज्य सरकार की सहमति से राज्य में इसे लागू किया जा सकता है।

सीबीआई से जुड़ी ताजा खबर:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में लग रहे रिश्वत लेने के मामले में मचे घमासान के बीच 23 अक्टूबर 2018 एक अहम फैसला हुआ है। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। अग्रिम आदेशों तक अब सीबीआई का संचालन एम नागेश्वर राव करेंगे। एम. नागेश्वर राव तेलंगाना के वारंगल जिले के रहने वाले हैं। वह 1986 बैच के ओडिशा कैडर से हैं।

वर्ष 1963 से अब तक बने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशकों की सूची:

नाम	**पद ग्रहण**	**पद विमुक्ति**
डी. पी. कोहली	01 अप्रैल, 1963	31 मई, 1968
एफ. वी. अरूल	31 मई 1968	06 मई 1971
डी. सेन	6 मई 1971	29 मार्च 1977
एस. एन. माथुर	29 मार्च 1977	02 मई 1977
सी. वी. नरसिम्हन	02 मई 1977	25 नवम्बर 1977
जॉन लोब	25 नवम्बर 1977	30 जून 1979
आर. डी. सिंह	30 जून 1979	24 जनवरी 1980
जे. एस. बावा	24 जनवरी 1980	28 फ़रवरी 1985
एम. जी. कातरे	28 फ़रवरी 1985	31 अक्टूबर 1989
ए. पी. मुखर्जी	31 अक्टूबर 1989	11 जनवरी 1990
आर. शेखर	11 जनवरी 1990	14 दिसम्बर 1990
विजय करन	14 दिसम्बर 1990	01 जून 1992
एस. के. दत्ता	01 जून 1992	31 जुलाई 1993
के. विजय रामा राव	31 जुलाई 1993	31 जुलाई 1996
जोगिंदर सिंह	31 जुलाई 1996	30 जून 1997
आर. सी. शर्मा	30 जून 1997	31 जनवरी 1998
डी. आर. कार्तिकेयन	31 जनवरी 1998	31 मार्च 1998
डॉ. टी. एन. मिश्रा	31 मार्च 1998	04 जनवरी 1999
डॉ. आर. के. राघवन	04 जनवरी 1999	30 अप्रैल 2001
पी. सी. शर्मा	30 अप्रैल 2001	06 दिसम्बर 2003
यू. एस. मिश्रा	06 दिसम्बर 2003	06 दिसम्बर 2005

विजय शंकर	12 दिसम्बर 2005	31 जुलाई 2008
अश्विनी कुमार	02 अगस्त 2008	30 नवम्बर 2010
ए. पी. सिंह	30 नवम्बर, 2010	30 नवम्बर, 2012
अनिल कुमार सिन्हा	01 दिसम्बर, 2012	19 जनवरी 2017
आलोक कुमार वर्मा	19 जनवरी 2017	23 अक्टूबर 2018
एम. नागेश्वर राव (अंतरिम निदेशक)	23 अक्टूबर 2018	से अब तक